न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, भदोही।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 584 सन् 2026

CNR No.UPSN01–001843–2026

किशन सेठ बालिग पुत्र दिनेश सेठ निवासी घोसिया, थाना औराई, जनपद भदोही।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य। .....अभियोजन पक्ष।

अपराध संख्या–199 सन् 2026
धारा– 406, 504, 506 भा0 दं0 सं0
थाना–औराई, जिला–भदोही।

आदेश

1. प्रार्थी/अभियुक्त किशन सेठ की ओर से प्रार्थनापत्र अपराध संख्या–199 सन् 2026, धारा–406, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता, थाना–औराई, जिला–भदोही के मामले में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में, अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी/अभियोगी विनय तिवारी ने प्रभारी निरीक्षक थाना औराई को तहरीर प्रस्तुत कर अभियोग पंजीकृत कराया कि वह भरिया पो० जयप्रभा ग्राम जिला गोण्डा का रहने वाला है। वास्तविकता यह है कि वादी विनय तिवारी गोपीगंज थाने में बतौर पुलिस कांस्टेबल 2019 से 2020 तैनात था। इस दौरान गोपीगंज नगर में वह गगन गुप्ता के मकान में बतौर किरायेदार ऊपरी मंजिल पर रहता था और उसी मकान में नीचे के कमरे में किशन सेठ पुत्र दिनेश सेठ निवासी घोसिया थाना औराई जनपद भदोही निवास करता था और ज्वेलरी का काम करता था। चूंकि एक ही मकान में वादी विनय तिवारी व किशन सेठ निवास करते थे, जिसके कारण एक दूसरे के यहां उठना बैठना शुरू हो गया और व्यवहार बन गया। किशन सेठ के द्वारा वादी से व्यवहार बनाकर विश्वास में लेकर यह कहा कि वह ऊंचे पैमाने पर ज्वेलरी का काम करता है और सोने चांदी के गहनों की मरम्मत करता है, सफाई करता है और सोने चांदी के गहने लेकर ऑर्डर के मुताबिक उसका अलग से डिजाइन बनाता है। किशन सेठ के विश्वास में आकर वादी ने अपने घर से सोने चांदी के जेवरात कुछ अपने रिश्तेदारों के सोने चांदी के जेवरात को किशन सेठ को कुछ गहनों को मरम्मत करने के लिए, कुछ गहनों का नए डिजाइन के हिसाब से गहना बनाने के लिए तथा कुल गहना किशन सेठ को 700 ग्राम वजन सोना दिया, जिसे किशन सेठ प्राप्त करके उसको विश्वास दिलाया कि वह आर्डर के मुताबिक इसे साफ करके नए डिजाइन के गहने को बनाकर उसे वापस कर देगा। कुछ समय पश्चात किशन सेठ से गहने मांगा तो किशन सेठ ने कहा कि अभी सोने का भाव गिरने वाला है उसका इंतजार करके वह जितना सोना वादी से लिया है उसके अनुपात में उससे बढ़िया गहने बनाकर देगा तो वादी, विपक्षी किशन सेठ का विश्वास करता रहा। बाद में किशन सेठ ने वादी से अपने व्यापार करने के लिए उधार रुपए मांगे और कहा कि वह रुपया साल भर के अंदर अदा कर देगा। इस तरह से कई बार में किशन सेठ ने वादी से कुल 20 लाख रुपया लिया, चूंकि जब किशन सेठ ने रुपया मांगा था तब उसने बैंक से 12 लाख रुपया लोन लिया था, उसे पैसों की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए किशन सेठ के मांगने पर उसने रुपया दे दिया। कई बार पैसों का लेनदेन विपक्षी के मूल निवास स्थान विपक्षी की दुकान विशाल ज्वैलर्स घोसिया थाना औराई जनपद भदोही में हुआ है। उसका स्थानान्तरण 2023 में गैर जनपद हो गया था, उसने अपना रुपया व अपने गहने किशन सेठ से कई बार मांगा तो वह हीलाहवाली करना शुरू किया। उसने

उससे कहा कि अगर उसका गहना व पैसा वापस नहीं लौटाओगें तो कानूनी कार्रवाई करेगा। तब किशन सेठ ने झूठा आरोप लगाकर उसके खिलाफ शिकायती प्रार्थना पत्र अपनी माता सुनीता देवी पत्नि दिनेश सेठ से दिला दिया, जिस पर समझौता हुआ और उस समझौते में किशन सेठ ने स्वीकार किया कि उसका 100 ग्राम सोना उसके ऊपर बकाया है, जिसे वह 2 साल 6 माह में 3.333 ग्राम प्रति माह के हिसाब से किस्तों में अदा करेगा और पैसे के बारे में उसने कहा कि पैसे का वह जल्दी ही प्रबंध कर देगा और पैसा चेक के माध्यम से देगा। परन्तु अभी तक उसने न ही सोना वापस किया, न ही पैसा वापस किया है। किशन सेठ के द्वारा धोखाधड़ी करके विश्वासघात करके उपरोक्त वर्णित गहना व रूपया हड़प लिया गया है । अब मांगने पर भद्दी–भद्दी गालियां दे रहा है और जान से मारने की धमकी और झूठे मुकदमें में फसाने की धमकी दे रहा है।

3. मैंने प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्कों को सुना तथा अन्य अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

4. प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा आधार अग्रिम जमानत व उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया कि प्रार्थी निर्दोष है, गलत व झूठे तथ्यों के आधार पर उक्त मुकदमे में फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलंब से दर्ज करायी गयी है, जिसका कोई कारण अभियोजन पक्ष द्वारा नहीं दिया गया है। प्रार्थी सोने की रकम बनाने का कारीगर है। प्रार्थी गोपीगंज स्थित गगन गुप्ता के मकान में पहली मंजिल पर स्थित रहा। इसी दौरान प्रार्थी का परिचय पुलिस थाना गोपीगंज में तत्समय कां० पद पर तैनात विनय तिवारी पुत्र रामदास तिवारी निवासी भरिया पोस्ट जयप्रभा जनपद गोण्डा से हुआ। बातचीत के दौरान प्रार्थी व विपक्षी एक दूसरे पर विश्वास करना शुरू किये। विपक्षी ने प्रस्ताव रखा कि विपक्षी कुछ रूपया व सोना प्रार्थी के व्यवसाय में लगाकर लाभ हानि का बंटवारा रूपया व सोना के अनुपात में बंटवारा कर लेंगे। प्रार्थी व विपक्षी के बीच सोना व रूपये का लेना–देना दिनांक 15.03.2021 से 20.12.2025 तक चला। विपक्षी पुलिस में कांस्टेबिल के पद पर तैनात होने की वजह से अपने पद का दुरूपयोग करते हुए प्रार्थी से 20 लाख रूपया और 700 ग्राम सोना जबरदस्ती वसूल करने हेतु मुकदमा दाखिल किया। विपक्षी द्वारा 2025 से ही प्रार्थी को फर्जी मुकदमें में फंसाने व जान से मरवाने की धमकी दी जा रही है, जिसके संबंध में प्रार्थी की माता द्वारा पुलिस अधीक्षक भदोही के यहां प्रार्थनापत्र दिया गया। उक्त प्रार्थनापत्र पर अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रार्थी से जबरदस्ती सुलहनामा पर हस्ताक्षर कराते हुए 100 ग्राम सोना देने के लिये कहा गया। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नही है। अत: मामले में अग्रिम जमानत स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है।

5. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा से व्यवहार बनाकर विश्वास में लेकर सोने चांदी के गहनों की मरम्मत करने व आर्डर के मुताबिक अलग से डिजाइन बनाकर देने के नाम पर वादी मुकदमा से 700 ग्राम सोना व व्यापार करने के लिये 20 लाख रूपये लिया और जब वादी का ट्रांसफर गैर–जनपद हो गया तो अभियुक्त ने न तो वादी मुकदमा का सोना और न ही पैसा वापस किया गया। इस प्रकार अभियुक्त द्वारा धोखाधड़ी करते हुए विश्वासघात करके गहना व रूपया हड़प लिया गया। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का आग्रह किया गया।

6. अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 01.01.2019 से 01.01.2026 तक वादी मुकदमा से व्यवहार बनाकर विश्वास में लेकर सोने–चांदी के गहनों की मरम्मत करने व आर्डर के मुताबिक अलग से डिजाइन बनाकर देने के नाम पर वादी मुकदमा से 700 ग्राम सोना व व्यापार करने के लिये 20 लाख रूपये लेने और वादी द्वारा गहना व रूपया वापस मांगने पर गाली–गुप्ता देते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए गहना व सोना हड़प लेने का आरोप है।

7. पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से दर्शित होता है कि कथित घटना दिनांक 01.01.2019 से 01.01.2023 के मध्य की कही जाती है। जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक–24.05.2026 को 17.01 बजे दर्ज कराया जाना दर्शित है। पत्रावली पर कागज संख्या 12 ख /1 लगायत कागज संख्या 12 ख/90 पक्षों के बीच में व्यवसायिक दृष्टि से सोना एवं रूपये के लेन–देन का विवरण हस्तलिखित पर्ची के रूप में एवं आनलाइन पेमेन्ट के स्क्रीनशॉट कि प्रतियां दाखिल है। केस डायरी में शुभम अग्रवाल अपर पुलिस अधीक्षक जनपद भदोही द्वारा पुलिस अधीक्षक भदोही को संबोधित पत्र दिनांकित 12.05.2026 संलग्न है, जिसमें यह उल्लिखित किया गया है कि अभियुक्त एवं वादी मुकदमा के मध्य सोना व पैसा के लेन–देन को लेकर सुलहनामा होना दर्शित है और व्यवसायिक लेन–देन में वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्त से लाभांश भी प्राप्त किया जाना दर्शित है। पत्रावली पर इस आशय का भी साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त द्वारा विवेचना में असहयोग किया जा रहा हो। अभियुक्त का इस प्रकार का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास होना दर्शित नहीं है।

8. अतः मामले के संपूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों में अग्रिम जमानत का आधार उचित प्रतीत होता है। तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त किशन सेठ द्वारा मु0 50,000/–रुपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि की दो प्रतिभू संबंधित विवेचनाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर उसे आरोपपत्र दाखिल होने तक अग्रिम–जमानत पर इस शर्त के साथ रिहा किया जाये कि–

1. यहकि आवेदक किसी पुलिस अधिकारी द्वारा जैसा और जब अपेक्षा की जायेगी, पूछताछ किये जाने हेतु स्वयं उपलब्ध होगा।
2. यहकि आवेदक, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके,
3. यह कि आवेदक, न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।
4. यह कि आवेदक विवेचना में सहयोग करेगा।

दिनांक–25.06.2026

(अखिलेश दूबे)
सत्र न्यायाधीश
भदोही।
JO Code No. UP 5725

आदेश की प्रति विवेचक को उपरोक्तानुसार अनुपालन हेतु प्रेषित की जाए।

सत्र न्यायाधीश
दिनांक–25.06.2026 भदोही।

Digitally signed by AKHILESH DUBEY
Date: 2026.06.25 13:28:34 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court